न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (खैरथल–तिजारा)

अध्याशितः– श्री मनीष कुमार जाटव आर0ए0एस

अपील सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
13/24	10.10.2024	07.01.2025

उनवान

1. बब्बुराम पुत्र श्री पूरनमल जाति बालमिकी निवासी ग्राम बोलनी तह0 किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0। :–अपीलाण्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत चामरोदा तह0 किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा राज0 जर्ये सरपंच। :–रेस्पोडेण्ट

इंतकाल अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 25.09.2024 बाबत इंतकाल संख्या 2656 ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास, ग्राम पंचायत चामरोदा।

उपस्थितिः–1. अपीलाण्ट की ओर से श्री सुधीर कुमार गुप्ता वकील।
2. रेस्पोडेण्ट की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

अपील अपीलाण्ट निम्न प्रकार से पेश की गई हैः–

अपील विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत चामरोदा तह0 किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा के दायर की जा रही है कि जो वाके हदूद अदालत श्रीमान है अतः अपील हाजा काबिल समाअत अदालत श्रीमान है।

विवादित इंतकाल संख्या 2656 में मुन्दर्जे आराजी हाल खसरा नं0 938, 940/1219, 940/1220 ग्राम बोलनी सीमा व अन्य की खातेदारी की आराजी थी जिस आराजी को श्रीमति सीमा वगैरा खुद बतौर खातेदार काश्तकार काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करते थे।

उक्त विवादित इंतकाल में मुन्दर्जे आराजी के खातेदार श्रीमति सीमा व अन्य सम्पूर्ण आराजी को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 25.07.2024 क्रमांक 202403359101341 के बाजाप्ता बाकब्जा मिन अपीलाण्ट को बेचान कर दिया था जिस आराजी पर मिन अपीलाण्ट बवक्त खरीद से ही बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज व दखिल होकर काश्त कारोबार करता चला आ रहा है। मौके पर अपीलाण्ट का वास्तविक कब्जा है।

सरपंच ग्राम पंचायत मिन अपीलाण्ट से चुनावी रंजिश रखता है इसलिए बिना मौका जांच के ही अपने मनमाने तौर पर विवादित इंतकाल की बाबत् अपना आलोच्य आदेश पारित करने में अहम् गलती की है इसलिए आलोच्य आदेश काबिल मंसूखी है।

मातहत ग्राम पंचायत को अपना आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व मौका का निरीक्षण करना चाहिये था एवं दस्तावेज विक्रय पत्र का अवलोकन करना चाहिये था तथा कमेटी गठित कर जांच करानी चाहिए थी, किन्तु मातहत ग्राम पंचायत द्वारा ना तो मौका निरीक्षण किया गया ना ही मिन अपी0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया, ना ही जांच हेतु कोई कमेटी गठित की गयी बल्कि मनमाने तरीके से अपना आलोच्य आदेश पारित करने में अहम भूल की है, इसलिए आलोच्य आदेश काबिल मंसूखी है। ग्राम पंचायत को अपना आलोच्य आदेश जलसा–ऐ–आम में पारित करना चाहिऐ था। किन्तु मातहत ग्राम

पंचायत ने ऐसा ना कर अपने घर पर बैठकर अपना आलोच्य आदेश पारित किया है जो हर सूरत में काबिले मंसूखी है।

अतः प्रार्थना है कि इंतकाल अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इंतकाल संख्या 2656 ग्राम बोलनी तह0 किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा की बाबत् जारी आलोच्य आदेश दिनांक 25.09.2024 निरस्त किया जाकर विक्रय पत्र के आधार पर उक्त इंतकाल मिन अपीलाण्ट के हक में स्वीकार किये जाने की आज्ञा सादिर फरमाई जावें।

अपील अपीलाण्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजि0 की गई। तथा रेस्पो0 को जरिये रजि0एडी से तलब किया गया रेस्पो0 बावजूद सूचना उपस्थित नही अतः उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। रेस्पो0 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने के पश्चात् अपीलाण्ट वकील ने अपील मे सीधे बहस करने का निवेदन किया।

अपीलाण्ट वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील ने अपील मे दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकील अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। पत्रावली के साथ संलग्न नामांतरण प्रपत्र (प–21)प्रविष्टि क्र0सं0 2656 दिनांक 31.08.24 में ग्राम बोलनी तहसील किशनगढबास के ख0न0 938, 940/1219, 940/1220 के नामांतरण हेतु प्रविष्टियॉ अंकित की गई है तथा नामांतरण का प्रकार बेचान अंकित किया गया है तथा प्रपत्र में पटवारी की रिपोर्ट "श्रीमान मुताबिक पंजीकृत विक्रय लेख के अनुसार नामांतरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।" अंकित की गई है। इसके उपरांत ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दर्ज करने वाले कॉलम में कोई भी टिप्पणी अंकित नही की गई है।

इस प्रकार नामांतरण की प्रति के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विवादित ख0न0 के संबंध में नामांतरण दर्ज करते समय पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट अंकित की गई है परंतु ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई टिप्पणी अंकित नही की गई ना ही किसी प्रकार का निर्णय पारित किया गया है। इससे यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा नामांतरण के संबंध में कोई विधिवत जांच नही की गई ना ही पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिया गया है और ना ही कोई समुचित निर्णय या आदेश पारित किया गया है।

इस प्रकार सम्यक प्रक्रिया की पालना नही किये जाने के कारण नामांतरण 2656 निरस्त योग्य पाया जाता है।

अतः प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रस्तुत नामांतरण 2656 दर्ज दिनांक 31.8.24 खारिज /निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार किशनगढबास को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण की जॉच एवं पक्षकारो की विधिवत सुनवाई कर नियमानुसार समुचित आदेश पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार किशनगढबास को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो। ।

(मनीष कुमार जाटव)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़बास (खैरथल–तिजारा)